उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-36/2024/सीएम-47/एक-1-2024-1-1/127/2024

लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन)</u>

ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित सामान्य श्रेणी की भूमि हेतु शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक-03.06.2016 में राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय हेतु निःशुल्क एवं राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र मे दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार तथा भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त लोक उपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु शासनादेश संख्या-33/745/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक-03.06.2016 राज्य सरकार के सेवारत विभागों को निःशुल्क एवं राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 25 प्रतिशत के बराबर धनराशि लिये जाने का प्राविधान है।

2- राष्ट्रीय राजमार्गों के त्वरित विकास हेतु उसके संरेखण में आने वाली राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधीन समस्त प्रकार की भूमि प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरित करने के संबंध में लोक निर्माण अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-43/2024/731/23-12-2024-23-12099(099)/56/2023, दिनांक-11.08.2024 एवं शासनादेश संख्या-49/2024/817/23-12-2024-23-12099(099)/56/2023 दिनांक-03.09.2024 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

3- तत्क्रम में श्री राज्यपाल ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमि का उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) के आलोक में निःशुल्क पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन कर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक-03.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-33/745/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक-03.06.2016 को तदनुसार इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या-49/2024/817/23-12-2024-23-12099(099)/56/2023 दिनांक-03.09.2024 के क्रम में।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।